फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

1 सांवल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी वेरापुरा तहसील व जिला सिरोही — बनाम — 1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 37/2025

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 08–07–25 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री [illegible] सिंह व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/542 दिनांक 23–06–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा मांकरोडा के खसरा संख्या 1387/832 रकबा 0.8100 हेक्टेयर आई हुई है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम सतजी दर्ज है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम सतजी के स्थान पर सुल्तान सिंह दर्ज करवाने का राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम वेरापुरा के जमाबंदी खाता संख्या 36 में प्रार्थी का नाम सांवल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह दर्ज है एवं प्रार्थी के पिता का वास्तविक व सम्मानजनक नाम सुल्तान सिंह ही है जो न्यायालय में दर्ज प्रार्थना पत्र के संलग्न सुसंगत दस्तावेज आधार कार्ड पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में भी प्रार्थी के पिता का नाम उक्त अनुसार सुल्तान सिंह दर्ज है। अतः प्रकरण में उक्तानुसार स्टेट का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम सतजी के स्थान पर सुल्तान सिंह किया जाना उचित है।<br>प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।<br>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1378/832 रकबा 0.8100 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम सतजी के स्थान पर सुल्तान सिंह संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें<br><br>**लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)**<br>**सिरोही** | |

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज.) ★